24/10/24 पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित [illegible] जवाब पेश [illegible] 25/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

25/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित [illegible] व [illegible] आदेश हेतु 30/10/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

30/10/24 पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई [illegible] उपस्थित है पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Read [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) सांगानेर

प्रार्थना पत्र संख्या 144/2024

रामेश्वर पुत्र ग्यारसा, आयु.... वर्ष, निवासी– ग्राम कैलाशपुरा उर्फ कोकावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

--प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती फूलवती देवी यादव पत्नी हरफूल यादव
2– श्रीमती सूरज देवी पत्नी कैलाश चन्द यादव
3– हनुमान पुत्र ग्यारसा निवासीगण– ग्राम कैलाशपुरा उर्फ कोकावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4– तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

1– यह कि उक्त उनवानी वाद प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सुदृढ तथ्यो पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी पूरी आशा है।

2– यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम कैलाशपुरा उर्फ कोकावास, पटवार हल्का शिकारपुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजीयात भूमि खाता पुराना 61 एवं खाता संख्या नया 170 के खसरा नम्बर 175/695 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/694 रकबा 0.5600 हेक्टेयर, कुल खसरे किता 2 कुल रकबा [illegible] हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है उक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:45:52 IST
Reason: SelfAttested